न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1685–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 11– 3–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 343/11–12/अपील.

1– शांतीबाई पत्नी स्व. नारायण सिंह
2– विजयपाल पुत्र स्व. नारायण सिंह
3– चन्द्रपाल पुत्र स्व. नारायण सिंह
4– कृष्णपाल पुत्र स्व. नारायण सिंह
5– अजय पाल पुत्र स्व. नारायण सिंह
6– शिवपाल पुत्र स्व. नारायण सिंह
7– अनीता पुत्री स्व. नारायण सिंह
निवासीगण खिड़की मोहल्ला
रमटापुरा, ग्वालियर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

कमला पत्नी संतोष कुमार
निवासी कोटेवाला मोहल्ला
रमटापुरा, ग्वालियर

.....अनावेदिका

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर. एस. गौड़, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/10/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–3–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत तहसीलदार, ग्वालियर के समक्ष ग्राम रमटापुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 1/1 मिन 2, सर्वे कमांक 3/1 मिन, सर्वे कमांक 5/1 मिन, सर्वे कमांक 11/1 मिन, सर्वे कमांक 11/41, सर्वे कमांक 11/54 वसीयतनामा के आधार पर भूमिस्वामी सोवरनसिंह के स्थान पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 119/08–09/अ–6 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई ।

कार्यवाही के दौरान आवेदकगण के पूर्वज नारायण सिंह द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 18 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका द्वारा नियत अवधि 14 दिन में न्यायालय के आदेश का पालन किया जाकर मूल वाद में संशोधन नहीं किया गया है, इसलिए प्रकरण निरस्त किया जाये । तहसीलदार द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुए कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में इन्हीं पक्षकारों के मध्य राजस्व मण्डल में प्रकरण विचाराधीन है, अनावेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–1–2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11–3–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रकरण में विधिवत संशोधन किया जाकर गुण–दोष पर प्रकरण का निराकरण किया जाये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में जो आवेदन पत्र वसीयतनामा के आधार पर सोवरनसिंह के पुत्र संतोष कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 4–2–2002 को आदेश पारित कर नामांतरण आदेश पारित किया गया है । उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–12–2008 को आदेश पारित कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसंगत आदेश करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रकरण क्रमांक निगरानी 654–पीबीआर/09 राजस्व मण्डल में प्रचलित होकर दिनांक 5–9–2011 को आदेश पारित कर प्रकरण निरस्त की गई है । अतः उक्त आदेश के अनुरूप प्रकरण तहसीलदार को विधिवत कार्यवाही कर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये। यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 49 में संशोधन के फलस्वरूप अपीलीय प्राधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अधिकार नहीं रहा है, अतः अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अवैधानिकता की गई है । तर्क में यह

भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका द्वारा फर्जी वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण की मांग की गई है, क्योंकि वसीयतनामा में अनावेदिका के ससुर कल्याणसिंह हैं, क्योंकि अनावेदिका कमला के ससुर सोवरनसिंह के पिता का नाम कल्याणसिंह है, जबकि वसीयतनामा में सोवरनसिंह के पिता का नाम गणेश लिया गया है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक भूमिस्वामी सोवरनसिंह की अनावेदिका पुत्रवधु है, और सोवरनसिंह द्वारा उसके पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है, और तहसीलदार के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिए अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है कि प्रकरण में संशोधित कर गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित किया जाये । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अनावेदिका का आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त किया गया था कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में राजस्व मण्डल में प्रकरण विचाराधीन है, और चूंकि राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण का निराकरण कर दिया गया है, इसलिए भी अपर आयुक्त द्वारा गुण–दोष पर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष नारायण सिंह द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 18 के अंतर्गत इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि अनावेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश के पालन में 14 दिवस में किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है, अतः प्रकरण समाप्त किया जाये । इस संबंध में तहसील न्यायालय द्वारा सकारण आदेश पारित नहीं करते हुए केवल यह उल्लेख किया गया है कि दस्तावेजों का अवलोकन किया व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 18 का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण निरस्त किया जाता है, जबकि तहसीलदार को विधिवत सकारण आदेश पारित करना

चाहिए था । स्पष्ट है कि तहसीलदार के आदेश में अनेक विसंगतियां हैं, जिस पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील निरस्त की गई है, अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश भी अवैधानिक आदेश की श्रेणी में आता है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक प्रावधानों की विस्तार से विवेचना करते हुए तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करने में कि वे विधिवत संशोधन कर प्रकरण का निराकरण करें, पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–3–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर